उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

पत्र संख्या: सम्पूर्ति-दो-190 - वर्दी निर्देश/2026

दिनांक: अक्टूबर 30, 2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: **उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को गर्भावस्था एवं प्रसवोपरान्त अवधि में वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण किए जाने के संबंध में।**

उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य, सुविधा एवं कार्यक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस वर्दी की गरिमा, एकरूपता एवं विभागीय पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण किए जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

गर्भावस्था के दौरान वैकल्पिक वर्दी धारण किए जाने का सामान्य प्रावधान

1.1 गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से अथवा चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

1.2 वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करना पूर्णतः ऐच्छिक होगा। किसी भी महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने अथवा सामान्य निर्धारित वर्दी धारण न करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

1.3 वैकल्पिक मातृत्व वर्दी के निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे। संबंधित महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपनी सुविधा, स्वास्थ्य स्थिति एवं चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार अनुमन्य विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकेगी।

2. राजपत्रित महिला पुलिस अधिकारियों हेतु वैकल्पिक मातृत्व वर्दी :-

उत्तर प्रदेश पुलिस की राजपत्रित महिला पुलिस अधिकारियों को गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित वैकल्पिक वर्दी धारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

2.1 खाकी साड़ी एवं ब्लाउज

(क) **खाकी साड़ी:** शीतकाल में खाकी सिल्क तथा ग्रीष्मकाल में खाकी कॉटन अथवा खाकी टेरीकॉट की साड़ी धारण की जा सकेगी। साड़ी को बाएँ कंधे पर इस प्रकार धारण किया जाएगा कि कंधे के स्ट्रैप के नीचे से गुजरे तथा निर्धारित पुलिस सर्विस बैज स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके।

(ख) **खाकी ब्लाउज:** खाकी कॉटन का कमर तक लंबाई वाला ब्लाउज, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक हों, धारण किया जा सकेगा। ब्लाउज के सामने की ओर पूर्ण बटन अथवा छिपे हुए हुक, स्टैंड एवं फॉल कॉलर, कंधे के स्ट्रैप तथा छाती पर दो जेबें होंगी। ब्लाउज का पिछला भाग बिना प्लेट्स के सादा रखा जाएगा।

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
30-10-26

Scanned with OKEN Scanner

(ग) रैंक बैज: पदानुसार रैंक बैज ब्लाउज के कंधे के स्ट्रैप पर लगाए जाएंगे ।

2.2 खाकी सूट-सलवार मय दुपट्टा

(क) खाकी सूट - सलवार मय दुपट्टा धारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) सूट के कंधों पर निर्धारित शोल्डर स्ट्रैप एवं पदानुसार रैंक बैज लगाने की व्यवस्था होगी। सूट का डिजाइन कॉलरयुक्त रखा जाएगा, ताकि आवश्यकतानुसार कॉलर बैज लगाया जा सके।

(ग) सलवार में सुविधाजनक एवं उपयोगी साइड पॉकेट की व्यवस्था होगी। इसका डिजाइन ऐसा रखा जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान पेट अथवा शरीर के किसी अन्य भाग पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

(घ) सलवार में सामान्य इलास्टिक के स्थान पर समायोज्य मैटरनिटी वेस्टबैंड अथवा डोरी/नाड़ा आधारित कमरबंद की व्यवस्था होगी, जिससे गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में आवश्यकतानुसार समायोजन एवं आराम सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) दुपट्टा हल्के एवं सुविधाजनक कपड़े का होगा, जिससे वर्दी की गरिमा एवं उपयोगिता बनी रहे।

(च) निर्धारित पुलिस कैप धारण करना अनिवार्य होगा। शीतकाल में सूट के ऊपर निर्धारित खाकी जैकेट, स्वेटर अथवा जर्सी धारण की जा सकेगी।

2.3 वैकल्पिक वर्दी के चयन की स्वतंत्रता - उपर्युक्त विकल्पों में से संबंधित महिला राजपत्रित पुलिस अधिकारी को अपनी सुविधा, स्वास्थ्य स्थिति एवं आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। चयनित विकल्प की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यालय अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि की जा सके।

अराजपत्रित महिला पुलिस कर्मियों हेतु वैकल्पिक मातृत्व वर्दी: - उत्तर प्रदेश पुलिस की अराजपत्रित महिला पुलिस कर्मियों को गर्भावस्था एवं अनुमन्य प्रसवोपरान्त अवधि में निम्नलिखित वैकल्पिक वर्दी धारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

3.1 खाकी साड़ी एवं ब्लाउज

(क) खाकी कॉटन, टेरीकॉट अथवा सिल्क की साड़ी धारण की जा सकेगी ।

(ख) साड़ी को बाएँ कंधे पर इस प्रकार धारण किया जाएगा कि शोल्डर स्ट्रैप एवं पदानुसार रैंक बैज स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों।

(ग) ब्लाइज का डिजाइन प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर 2.1 (ख) के समान होगा

(घ) निर्धारित पुलिस कैप धारण करना अनिवार्य होगा। शीतकाल में साड़ी के ऊपर निर्धारित खाकी जैकेट, स्वेटर अथवा जर्सी धारण की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

3.2 खाकी सूट-सलवार मय दुपट्टा

(क) खाकी सूट-सलवार मय दुपट्टा धारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) सूट के कंधों पर शोल्डर स्ट्रैप एवं पदानुसार रैंक बैज लगाने की व्यवस्था होगी तथा निर्धारित पुलिस कैप धारण करना अनिवार्य होगा।

(ग) सलवार में सुविधाजनक एवं उपयोगी साइड पॉकेट की व्यवस्था होगी। इसका डिजाइन ऐसा रखा जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान पेट अथवा शरीर के किसी अन्य भाग पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

(घ) सलवार में सामान्य इलास्टिक के स्थान पर समायोज्य मैटरनिटी वेस्टबैंड अथवा डोरी/नाड़ा आधारित कमरबंद की व्यवस्था होगी, जिससे गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में आवश्यकतानुसार समायोजन एवं आराम सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) दुपट्टा हल्के एवं सुविधाजनक कपड़े का होगा, जिससे वर्दी की गरिमा एवं उपयोगिता बनी रहे।

(च) निर्धारित पुलिस कैप धारण करना अनिवार्य होगा। शीतकाल में सूट के ऊपर निर्धारित खाकी जैकेट, स्वेटर अथवा जर्सी धारण की जा सकेगी।

3.3 बुशशर्ट (ट्यूनिक) एवं ट्राउजर/पैंट

(क) बुशशर्ट (ट्यूनिक) एवं ट्राउजर/पैंट धारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) बुशशर्ट (ट्यूनिक) टक-आउट (Tuck-out) डिजाइन की होगी, जिससे गर्भावस्था के दौरान शरीर पर अनावश्यक दबाव न पड़े तथा पहनने में सुविधा रहे।

(ग) ट्राउजर/पैंट में सामान्य इलास्टिक के स्थान पर समायोज्य मैटरनिटी वेस्टबैंड अथवा डोरी/नाड़ा आधारित कमरबंद की व्यवस्था होगी, जिससे गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में आवश्यकतानुसार समायोजन एवं आराम सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) बुशशर्ट के कंधों पर शोल्डर स्ट्रैप एवं पदानुसार रैंक बैज लगाने की व्यवस्था होगी। निर्धारित पुलिस कैप धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) बुशशर्ट एवं ट्राउजर पैंट का निर्माण श्वसनक्षम (Breathable), लचीले (Stretchable) एवं आरामदायक खाकी कपड़े से किया जा सकता है।

3.4 वैकल्पिक वर्दी के चयन एवं बेल्ट से छूट संबंधी प्रावधान

(क) उपर्युक्त क्रमांक 3.1, 3.2 एवं 3.3 में उल्लिखित वैकल्पिक वर्दी विकल्पों में से संबंधित महिला पुलिस कर्मी को अपनी सुविधा, स्वास्थ्य स्थिति एवं आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

(ख) वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने की अवधि में महिला पुलिस कर्मियों को वर्दी की बेल्ट धारण करने से छूट प्रदान की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) चयनित वर्दी विकल्प की सूचना संबंधित महिला पुलिस कर्मी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यालय अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि की जा सके एवं वर्दी संबंधी व्यवस्था का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

4. सिर का पहनावा, मोजे एवं जूते संबंधी प्रावधान

4.1 वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सिर का पहनावा वही रहेगा, जो संबंधित पद एवं श्रेणी के लिए सामान्यतः निर्धारित है। जहाँ पुलिस कैप निर्धारित है, वहाँ उसे धारण करना अनिवार्य होगा।

4.2 खाकी मोजे धारण किए जाएंगे।

4.3 गर्भावस्था के दौरान फीतों वाले जूतों के स्थान पर आरामदायक, बिना फीते (Slip-on) वाले भूरे अथवा काले रंग के जूते या बंद पंजे वाली सैंडल (Toe-closed) धारण करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी,ताकि झुकने में होने वाली असुविधा से बचाव हो तथा महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा, सुरक्षा एवं गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके।

4.4 सैंडल की हील की ऊँचाई 2½ इंच से अधिक नहीं होगी।

5. मातृत्व वर्दी के रंग, कपड़े एवं प्रतीक चिह्न संबंधी प्रावधान

5.1 मातृत्व वर्दी का रंग खाकी शेड (PANTONE No. 16-1315 TCX) रहेगा जो की पूर्व में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, कपड़े की गुणवत्ता, बैज, प्रतीक चिह्न एवं समग्र स्वरूप नियमित पुलिस वर्दी के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

5.2 मातृत्व वर्दी की डिजाइन एवं निर्माण में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पुलिस बल की गरिमा, एकरूपता एवं पहचान बनी रहे तथा गर्भावस्था के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक आराम एवं सुविधा प्राप्त हो सके।

6. मातृत्व वर्दी धारण करने की अवधि

6.1 मातृत्व वर्दी गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से प्रसवोपरान्त एक वर्ष तक अथवा चिकित्सकीय परामर्शानुसार धारण की जा सकेगी।

6.2 मातृत्व वर्दी धारण करने वाली महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसकी सूचना अपने कार्यालयाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।

6.3 यदि किसी महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को स्वास्थ्य स्थिति अथवा चिकित्सकीय आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मातृत्व वर्दी धारण करने की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र संबंधी प्रावधान

7.1 वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने हेतु पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र एक बार प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

7.2 एक ही गर्भावस्था एवं उससे संबंधित प्रसवोपरान्त अवधि के दौरान बार-बार चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7.3 तथापि, यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मातृत्व वर्दी धारण करने अथवा किसी विशेष चिकित्सकीय आवश्यकता के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त चिकित्सकीय परामर्श अपेक्षित हो, तो संबंधित महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक चिकित्सकीय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकेगा।

8. अनुपालन एवं अभिलेख संधारण

8.1 समस्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत पात्र महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आदेश के अनुरूप वैकल्पिक मातृत्व वर्दी धारण करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

8.2 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वैकल्पिक वर्दी का चयन करने वाली महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सूचना प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

8.3 मातृत्व वर्दी की व्यवस्था लागू करते समय संबंधित महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की सुविधा, स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सकीय आवश्यकता एवं पुलिस वर्दी की निर्धारित गरिमा का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

30/10/24

(प्रताप गोपेन्द्र)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय)
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ, उ0प्र0 लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ से प्रेषित है की इस आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner